AMENDED CERTIFICATE OF REGISTRATION
UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT XXI OF 1860

Registration No. : S- 5224/1971 (Date of Registration 16/12/1971)

I hereby certify that "In pursuance of Section 12 and 12 A, the name/address of the society has been changed from

"BABA BANDA BAHADUR MEMORIAL COMMITTEE (BHARAT)"

to

"BABA BANDA SINGH BAHADUR SIKH SAMPARDAI (BHARAT)"
REGISTERED OFFICE- 326, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009.

w.e.f. 16|08|13 under the SOCITIES REGISTRATION ACT OF 1860

Given under my hand at Delhi on this 16th Day of Aug. Two Thousand Thirteen.

AMENDED FEE OF RS. 01/- received.

Seal
Registrar of Societies
Delhi

16/08/2013
REGISTRAR OF SOCIETIES
GOVT OF NCT OF DELHI
DELHI

REGISTRAR OF SOCIETIES GOVT. OF DELHI

Amended as on ....

Registrar of Societies

"बाबा बन्दा सिंह बहादुर सिक्ख सम्प्रदाय (भारत)"

संशोधित संविधान

"अमर शहीद बाबा बन्दा सिंह बहादुर के आदर्शों को समर्पित एक धार्मिक एवं सामाजिक संगठन"

1) नाम चिन्ह : बाबा बन्दा सिंह बहादुर सिक्ख सम्प्रदाय (भारत)

2) आदर्श वाक्य : "धन धन बाबा बन्दा सिंह बहादुर जहां सिमरिये तहां [illegible]"

3) पंजीकृत कार्यालय : 326, श्री मुखर्जी नगर, दिल्ली 110009
दिल्ली संघ

प्रशासनिक कार्यालय : ठिकाना बाबा बन्दा बहादुर, डी.एल.एफ कालोनी, रोहतक (हरियाणा)

4) समिति की स्थापना का उद्देश्य कार्य एवं अधिकार क्षेत्र

1. सारे भारत में बाबा बन्दा बहादुर की यादगारें स्थापित करना।
2. श्री गुरु ग्रन्थ साहिब जी को अपना आदर्श मानते हुए गुरुबाणी का प्रचार व प्रसार।
3. अमर शहीद बाबा बन्दा सिंह बहादुर जी के सिद्धान्तों का प्रचार व प्रसार।
4. गुरमत के सिद्धान्त सेवा व सिमरन को जीवन पद्धति के रूप में अपनाना।
5. गुरुबाणी के प्रचार व प्रसार हेतु गुरुबाणी सेवा समितियों, कीर्तनी जत्थों, कथा वाचकों को तैयार करना एवं गठन करना।
6. बाबा बन्दा सिंह बहादुर की पावन स्मृति में 'ठिकाना बाबा बन्दा सिंह बहादुर' के नाम से गुरुद्वारों का निर्माण एवं संचालन।
7. शिक्षा संस्थान, धर्मशाला, पुस्तकालय, [illegible], [illegible], [illegible]-आश्रम, अनाथ-आश्रम, वृद्ध आश्रम, बाल-आश्रम, रक्त बैंक, नेत्र बैंक, [illegible] आदि का निर्माण एवं संचालन।
8. रक्त-दान शिविर, नेत्र-दान, स्वास्थ्य सम्बन्धी जांच-शिविर, कन्याओं के सामूहिक विवाह कार्यक्रम तथा अन्य समाज सेवा से सम्बन्धित कार्यक्रमों का आयोजन।
9. गुरुबाणी एवं संस्था के प्रचार प्रसार हेतु पत्र-पत्रिका, पुस्तकों का प्रकाशन एवं वितरण करना।
10. कीर्तन दरबार, कवि [illegible] दरबार, धर्म-सम्मेलन, सेमिनार, गुरमत शिविर आदि कार्य जिन्हें संस्था व समाज के हित में समझा जाये, आयोजित करना।
11. [illegible] बाबा बन्दा सिंह बहादुर नाम के पेटेंट करवाना।
12. युवाओं/युवतियों के सेवा दल स्थापित करना।

Amended as on...... 16/08/2024

Registrar of Society

"बाबा बन्दा सिंह बहादुर सिक्ख सम्प्रदाय (भारत)"

संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 का 21 (पंजाब संशोधन) अधिनियम 1957 की धारा 2 के अधीन तथा अपेक्षित कार्यकारिणी के सदस्यों जिन्हें कि व्यवस्था कार्य सौंपें गये हैं, के नाम, पते, व्यवसाय, और पद निम्नलिखित हैं:-

क्र० सं०	नाम	पदनाम
1)	राम लुभाया पृथी	प्रधान
2)	संत कुमार जुनेजा	उप-प्रधान
3)	वेद प्रकाश मक्कड़	सचिव
4)	शिव शंकर पाहवा	सह-सचिव
5)	के.के. बजाज	निरीक्षक
6)	ओम प्रकाश गवाड़ी	कोषाध्यक्ष
7)	के.एल.हंस	सदस्य

REGISTRAR OF SOCIETIES GOVT. OF DELHI

सत्यमेव जयते

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat)

President

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat)

Gen. Secretary

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat)

Treasurer/Cashier

Amended as on.......................

Registrar of Society

हम अधोहस्ताक्षरी संस्था के ज्ञापन का अनुसरण करते हुए संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में ..... प्रभावी समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 का 21 (पंजाब संशोधन) अधिनियम 1957 के ...... बाबा बन्दा बहादुर मेमोरियल कमेटी (भारत) नाम से समिति की स्थापना के इच्छुक हैं:-

क्र० सं०	नाम	पता	व्यवसाय	पदनाम
1)	भाई लछमन दास चड्ढा	बसंत रेस्टोरेन्ट, कमला नगर, दिल्ली।	व्यापार	प्रधान
2)	भाई बहादुर चन्द सुखीजा	प्रताप चौक, पानीपत, हरियाणा	डाक्टर	सचिव
3)	भाई लखबीर सिंह गुलाटी	पटियाला इलैक्ट्रिकल वर्क्स, रेलवे रोड, करनाल, हरियाणा	व्यापार	उप प्रधान
4)	भाई जैसा राम	201 आदर्श नगर, जालंधर	व्यापार	कोषाध्यक्ष
5)	भाई कृष्ण लाल हंस	डी-134, ऑडट्रम लाईंस, किंग्सवे कैंप, दिल्ली 9	सरकारी नौकरी	सहायक सचिव
6)	भाई राम चन्द चावला	एन 39, शिवाजी पार्क, नई दिल्ली	व्यापार	निरीक्षक
7)	भाई हरगोविंद गुलाटी	सलाथ मार्केट, बजाज बाजार, मेरठ, यू.पी.	व्यापार	सदस्य
8)	भाई राम नाथ अचड़ेजा	104 ए, गोविन्द पुरी कॉलोनी, आगरा	व्यापार	सदस्य
9)	भाई लक्खा सिंह [illegible]	तलाई मोहल्ला (जनरल मार्केट), जम्मू	व्यापार	सदस्य
10)	भाई साधू राम	डेरा बाबा बन्दा बहादुर [illegible], जम्मू	व्यापार	सदस्य
11)	भाई हरिकिशन	लोअर बाजार, 128/10, डाकखाने के पास, शिमला, हिमाचल प्रदेश	व्यापार	सदस्य
12)	भाई राम किशन चावला	14 ए, चावल वाडी क्रास लेन, [illegible] रेवी रोड, बम्बई 2, महाराष्ट्र	व्यापार	सदस्य
13)	भाई सीता सिंह	बैरक नं० 1653, कमरा नं० 2, कुवारा नगर, न०4 [illegible] थाना (महाराष्ट्र)	व्यापार	सदस्य

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sangaraial (Bharat)

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sangaraial (Bharat)

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sangaraial (Bharat)

14)	चन्द बत्रा	भटुला, जिला खेड़ा, गुजरात ।	व्यापार	सदस्य
15)	राम दयाल ठक्कर	20 हरपाल पुरा, झांसी, मध्य प्रदेश।	व्यापार	सदस्य
16)	[signature]	कलाथ मार्केट, किला रोड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	व्यापार	सदस्य
17)	किरपाल सिंह तिवारी	सम्भालिया स्टेशन, 2 गुजरात।	व्यापार	सदस्य

नियम व विनियम

परिभाषायें

5) गद्दी नशीन :

1. बाबा बन्दा सिंह बहादुर ... सिख सम्प्रदाय की परम्परानुसार सामान्यतः इस पद पर बाबा बन्दा बहादुर जी के वंशज परिवार का योग्य बेटा ही पदासीन होगा जिसे 'गद्दी-नशीन' कहा जायगा।
2. जीवन पर्यन्त इस पद पर रहेगा।
3. वंशानुगत सम्पत्ति का वारिस व संचालक होगा।
4. संस्था द्वारा निर्मित अधिग्रहित सम्पत्तियों का संरक्षक होगा।
5. संस्था द्वारा संचालित सभी प्रकल्पों का मुख्य संरक्षक के रूप में निरीक्षण कर सकेगा।
6. यदि वर्तमान गद्दी नशीन विभिन्न कारणों से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने में असमर्थता व्यक्त करता है अथवा -
   - उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है,
   - उसकी मानसिक अवस्था सही नहीं रहती,
   - वह निःसन्तान रहता है,
7. तो केन्द्रिय कार्य समिति को बहुमत से ऐसी नियुक्ति का अधिकार होगा।
8. यदि नियुक्त उत्तराधिकारी अवयस्क होगा तो केन्द्रिय कार्य समिति उसके वयस्क होने तक किसी योग्य व्यक्ति को हुकमवाले भाई साहिबान के परामर्श से 'मुख्य प्रबन्धक' नियुक्त कर सकेगी जो गद्दी-नशीन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा व गुरु घर के परिवार का पालन पोषण करेगा।

6) हुकम वाले भाई साहिब:

1. परम्परानुसार इस पद पर किसी भी सेवा-भावी, आस्थावान व्यक्ति को गद्दी-नशीन बाबा जी द्वारा मनोनीत किया जायेगा। यह व्यक्ति भाई-साहिब के नाम से जाना जायेगा। बाबा जी का 'हुक्मनामा' लेकर साथ संगत के पास गुरुवाणी के प्रचार-प्रसार का कार्य करेगा।

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Regd.)
President

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Regd.)
Gen. Secretary

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Regd.)
Treasurer

Amended as on.............
Registrar of Society

2. संस्था की मीटिंग में भाग लेगा, मगर उसे मताधिकार नहीं होगा।

3. गद्दी-नशीन को सुविधानुसार इनकी संख्या घटाने या बढ़ाने का अधिकार होगा।

7) सदस्य:-

1. बाबा बन्दा सिंह बहादुर सिख सम्प्रदाय के परिवारों का हर सदस्य वंशानुगत रूप से 'बाबा बन्दा सिंह बहादुर सिख सम्प्रदाय' का सदस्य कहलावेगा। मगर हर सदस्य को मत-दान का अधिकार नहीं होगा। यह केवल पंजीकृत सदस्य को ही प्राप्त होगा।

2. पंजीकृत सदस्य:-

संस्था का एक ही राष्ट्रीय रजिस्ट्र होगा। उपरोक्त में से कोई भी सदस्य पंजीकृत सदस्य बन सकता है। सदस्य की संख्या अधिकतम 251 होगी।

2.1 प्रधान, महासचिव व वित्त सचिव द्वारा अधिकृत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा।

2.2 आजीवन सदस्यता शुल्क 11000/- अदा करना होगा। जिसे घटाने/बढ़ाने का अधिकार केन्द्रीय कार्य समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

2.3 वार्षिक शुल्क समय-2 पर तय करने का अधिकार केन्द्रीय कार्य समिति को होगा।

2.4 प्रार्थना-पत्र को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार केन्द्रीय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

2.5 सदस्य संख्या में से 10 प्रतिशत सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार गद्दी-नशीन के पास सुरक्षित रहेगा।

2.6 वह तब तक सदस्य रह सकेगा जब तक -

- जीवित रहेगा।
- स्वेच्छा से त्याग पत्र देगा।

REGISTRAR OF SOCIETIES GOVT. OF DELHI सत्यमेव जयते

8) वह सदस्य नहीं रह सकेगा जब -

1. किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जायेगा।
2. पागल या दीवालिया घोषित होगा।
3. कार्यकारिणी द्वारा बहुमत से निकाला जायेगा।

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat)
Secretary

9) सामान्य समिति:-

1. सभी पंजीकृत सदस्यों के समूह को सामान्य समिति कहा जायेगा ।
2. इसकी सभा वर्ष में एक बार अनिवार्य होगी।

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat)
President

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat)
Gen. Secretary

Amended as on......16/08/2013
Registrar of Society

3. आवश्यकतानुसार एक से अधिक बार भी सामान्य सभा बुलाई जा सकती है।
4. यदि कार्यकारिणी के 25 प्रतिशत सदस्य लिखित रूप से चाहें तो प्रधान मीटिंग बुलाने के लिए बाध्य होगा।

10) केन्द्रीय कार्य समिति:-

1. केन्द्रीय कार्यसमिति में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे व कार्यकारिणी के 10 सदस्य होगें :-

मुख्य संरक्षक	1
चेयरमैन	1
उप चेयरमैन	1
प्रधान	1
उप प्रधान	3
महासचिव	1
सचिव	1
सहसचिव	2
वित्त सचिव	1
कोषाध्यक्ष	1
प्रेस सचिव	1
केन्द्रीय संयोजक	1
कुल	15

REGISTRAR OF SOCIETIES GOVT. OF DELHI

2. प्रधान तथा महासचिव का चुनाव केन्द्रीय चुनाव समिति की देखरेख में सामान्य समिति के बहुमत से होगा।
3. शेष सभी सदस्यों/पदाधिकारियों का प्रधान तथा महासचिव द्वारा मुख्य संरक्षक की सलाह से सामान्य समिति में से मनोनयन किया जायेगा।
4. केन्द्रीय कार्य समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।
5. केन्द्रीय कार्य समिति की सभा त्रैमासिक होना अनिवार्य होगी।
6. स्थानीय समितियों के कार्यो/अधिकारों का निर्धारिण एवं नियंत्रण कर सकेगी।
7. केन्द्रीय कार्य समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार विशेष आमंत्रित व्यक्तियों का मनोनयन किया जायेगा।

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat)
Treasurer/Cashier

11) पदाधिकारियों के कर्त्तव्य एवं अधिकार:-

1. चेयरमैन

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat)
Gen. Secretary
For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat)
President

Amended as on ....

Registrar of Society

- केन्द्रीय कार्य समिति की मीटिंगों की अध्यक्षता करना, विभिन्न प्रकल्पों बारे दिशा-निर्देश देना, समय समय पर आय-व्यय का निरीक्षण करना ।

2. उप-चेयरमैन

- चेयरमैन की अनुपस्थिति में अथवा उसके निर्देश पर उपरोक्त सभी कार्य करना।

3. प्रधान

- केन्द्रीय कार्य समिति की बैठकों की कार्यवाही पर हस्ताक्षर करना।
- संस्था के समस्त कार्यो, उसकी चल-अचल संपत्ति, आय-व्यय आदि पर अपना सामान्य नियंत्रण रखना।
- संस्था के किसी भी पदाधिकारी को किसी भी कार्य करने को प्राधिकृत करना।
- किसी प्रस्ताव या मामले में समान मतदान होने पर निर्णायक मत देकर उसका निर्णय करना।
- संस्था के प्रमुख के रूप में बाह्य संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करना।
- संस्था के सभी वैतनिक कर्मचारियों के कार्यो पर नियंत्रण करना और आवश्यकता पड़ने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।

4. उप-प्रधान

- प्रधान की अनुपस्थिति में अथवा उसके निर्देश पर उपरोक्त सभी कार्य कर सकेगा।
- हर कार्य में प्रधान की सहायता करेगा।

5. महासचिव

- वह संस्था की साधारण सभा/कार्य समिति की बैठकों को नियंत्रित करेगा। उनके दिन, समय, स्थान तथा कार्यक्रम निर्धारित करके उनकी सूचना सदस्यों को नियत समय में देगा।
- संस्था की सभी सभाओं के विचारार्थ जो भी प्रस्ताव, रिपोर्ट, सुझाव आदि प्राप्त हों, उन्हें वह प्रधान की अनुमति से सभाओं में विचारार्थ रखेगा।
- वह सभाओं की संक्षिप्त कार्यवाही तैयार करेगा और कार्य समिति की समस्त सभाओं की कार्यवाही और उसकी पुष्टि साधारण सभा की आगामी बैठक में प्राप्त करेगा।
- प्रधान की अनुमति से संस्था की ओर से केन्द्रीय, राज्य सरकारों, स्थानीय शासकों तथा अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों से पत्र व्यवहार करेगा।
- वह संस्था के सभी कार्यो के लिए उत्तरदायी होगा।
- संस्था से सम्बन्धित रिकार्ड सुरक्षित रखेगा।

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat)

Treasurer/Cashier

6. सचिव

- महासचिव की अनुपस्थिति में अथवा उसके निर्देश पर उपरोक्त सभी कार्य कर सकेगा।

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat) — President

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat) — Gen. Secretary

Amended as on.........
Registrar of Society 16/09/2013

- हर कार्य में महासचिव की सहायता करेगा।

7. वित्त सचिव

- वित्त सचिव संस्था के आय-व्यय का लेखा रखेगा। वह उसकी जांच करेगा और कराएगा तथा उसे कार्य समिति की बैठकों में और साधारण सभा की वार्षिक बैठक में स्वीकृति के लिए रखेगा तथा पुष्टि करायेगा।

8. कोषाध्यक्ष

- जो भी प्राप्तियां होंगी उनकी वह रसीदें देगा। इसी प्रकार जो भी व्यय होगा, उसकी पुष्टि में रसीदें या वाउचर आदि का प्रमाण-स्वरुप अभिलेख करेगा।
- आय व्यय संबंधी रसीद बुकों, रजिस्टरों, अन्य अभिलेखों को अपनी अभिरक्षा में रखेगा तथा उनका हिसाब रखेगा।
- सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं पर संस्था का जो लेना हो, उसे वह वसूल करेगा। इसी प्रकार व्यक्तियों और संस्थाओं को संस्था द्वारा जो देना हो, नियमानुसार उसका भुगतान करेगा।
- वह प्रधान तथा महासचिव के सहयोग से किसी अनुसूचित बैंक में बचत खाता रखेगा और दो हस्ताक्षरों से रुपया निकालेगा।
- संस्था के लिए 10000/- रुपये तक की राशि खर्च कर सकेगा, परन्तु कार्य समिति की मीटिंग में स्वीकृति आवश्यक होगी।

9. प्रेस सचिव

- प्रधान, महासचिव की अनुमति से संस्था के क्रियाकलापों पर प्रेस नोट जारी करना, प्रवक्ता के रूप में व्यक्तव्य देना, प्रेस रिपोर्टो का रिकार्ड रखना।

REGISTRAR OF SOCIETIES GOVT. OF DELHI

10. केन्द्रिय संयोजक

- इसका मनोनयन गद्दी-नशीन द्वारा ही किया जायेगा।
- यह गद्दी-नशीन के सलाहकार के रूप में कार्य करेगा।
- गद्दी-नशीन व केन्द्रीय कार्यकारिणी के बीच कड़ी के रूप में कार्य करेगा।
- संस्था की सभी समितिमयों/उपसमितियां में निदेशक के रूप में कार्य करेगा।
- संस्था द्वारा संचालित सभी उपक्रमों, प्रकल्पों, आयोजनों का संयोजन करेगा।
- इस पद से संबंधित सेवा कार्यों के निर्वहन में होने वाले व्यय का भुगतान केन्द्रिय कोष से ही किया जायेगा।

12) केन्द्रीय कार्यकारिणी

केन्द्रीय कार्यकारिणी में निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat) — President

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat) — Gen. Secretary

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat) — Treasurer/Cashier

Amended as on............... 3/14
Registrar of Society
16 Nov 13

1. स्थाई सदस्य

1.1 केन्द्रीय कार्य समिति

1.2 10-15 मनोनीति सदस्य जिनका मनोनयन केन्द्रीय समिति द्वारा मुख्य संरक्षक के परामर्श से किया जायेगा।

2. विशेष आमंत्रित सदस्य

2.1 स्थानीय सेवा समितियों के प्रधान व सचिव

2.2 गद्दी-नशीन द्वारा नियुक्त सलाहकार जिनकी संख्या 5 तक हो सकती है।

2.3 युवा/युवती सेवा दल के प्रधान, सचिव व कोषाध्यक्ष

2.4 इसका कार्यकाल 3 वर्ष होगा।

2.5 इसकी सभा वर्ष में 2 बार अनिवार्य होगी।

13) केन्द्रीय चुनाव एवं अनुशासन समिति

1 इसमें 3 सदस्य होगें। जिनका मनोनयन गद्दी नशीन द्वारा किया जायेगा।

2 इसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा।

3 प्रधान/महासचिव का बहुमत अथवा सर्वसम्मति से चुनाव करेगा।

4 स्थानीय सेवा समितियों के पदाधिकारियों का चुनाव/मनोनयन करवाना।

5 संस्था के अधीन किसी भी समिति/उपसमिति/उपक्रम/प्रकल्प आदि जिसमें चुनाव की आवश्यकता हो, केन्द्रीय चुनाव समिति द्वारा ही सम्पन्न करवाये जायेंगे।

6 संस्था में किसी भी प्रकार के मतभेद उत्पन्न होने पर इस समिति को उनका निराकरण करने का अधिकार होगा।

7 यदि यह समिति मतभेद समाप्त नहीं कर पाती तो गद्दी-नशीन का निर्णय सर्वमान्य होगा।

14) स्थानीय सेवा समिति

1. स्थानीय सेवा समिति स्थानीय उपक्रमों/प्रकल्पों/आयोजनों व अन्य कार्यों हेतु एक प्रबन्धन कमेटी का गठन करेगी।
2. इस प्रबन्धन-कमेटी में न्यूनतम 11 व अधिकतम 21 सदस्य होंगे।
3. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्थानीय सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष तथा 6 मनोनीति सदस्य।
4. समिति का स्थानीय कार्यालय स्थानीय टिकाना बाबा बन्दा सिंह बहादुर होगा। जहां यह भवन नहीं है, वहां परस्पर सहमति से नियत किया जायेगा।
5. इसका मनोनयन/चुनाव 2 वर्षों के लिए होगा। यदि सदस्य आगामी 2 वर्षों के लिये पुन: चुनना चाहते है तो केन्द्रिय कार्य समिति की अनुमति लेनी होगी।

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat) President
For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat) Gen. Secretary
For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat) Treasurer/Cashier

Registrar of Society

6. स्थानीय सेवा प्रकल्पों/उपक्रमों के लिए संयोजक/सह संयोजक/कोषाधिकारी का मनोनयन स्थानीय सेवा समिति के परामर्श से प्रधान द्वारा किया जायेगा। यदि चुनाव की आवश्यकता हो तो केन्द्रीय चुनाव समिति इस कार्य को सम्पन्न करवायेगी।

7. इस प्रकार मनोनीत/चयनित संयोजक/सह संयोजक/कोषाधिकारी में से कोई 2 स्थानीय प्रबन्धक कमेटी में प्रतिनिधित्व करेंगे।

8. चयनित / मनोनीत सदस्यों की अनुमति केन्द्रीय कार्य समिति से लेनी होगी।

15) केन्द्रीय धर्म-प्रचार समिति

1. इस समिति में एक निदेशक के अतिरिक्त 5 सदस्य होंगे जिनका मनोनयन भाई साहिब, प्रधान, महासचिव के परामर्श से बाबा जी द्वारा किया जायेगा।
2. इसका कार्यकाल 3 वर्ष होगा।
3. संस्था के अधीनस्थ सभी ठिकाना बाबा बन्दा सिंह बहादुर के ग्रन्थियों/कर्मचारियों की नियुक्ति/निष्कासन/स्थानान्तरण की प्रक्रिया पर नियन्त्रण का प्रबन्धन एवं नियन्त्रण।
4. संस्था के अधीनस्थ श्री सुखमनी सेवा सोसायटियों का नियंत्रण।
5. धर्म प्रचार हेतु प्रकाशित किया जाने वाला साहित्य पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, चित्र आदि का प्रबन्धन एवं नियंत्रण ।

16) केन्द्रीय समाज-सेवा समिति

1. इस समिति में एक निदेशक के अतिरिक्त 5 सदस्य होंगे जिनका मनोनयन प्रधान, महासचिव के परामर्श से गद्दी नशीन द्वारा किया जायेगा।
2. इस का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा।
3. संस्था के अधीनस्थ हस्पतालों, डिस्पैंसरियों, रक्त बैंक, एम्बुलेंस आदि का नियन्त्रण।
4. संस्था द्वारा आयोजित विभिन्न शिविरों-नेत्र चिकित्सा शिविर, रक्त-दान शिविर आदि का नियंत्रण।
5. समाज सेवा से सम्बंधित सभी प्रकार के आयोजनों/प्रकल्पों, सामूहिक विवाह अनाथ आश्रम, बाल-आश्रम, वृद्ध आश्रम आदि का नियन्त्रण।

17) शिक्षा संस्थान प्रबन्धन बोर्ड

1. इस बोर्ड में एक निदेशक, 3 सदस्य एवं स्थानीय शिक्षा संस्थाओं के संयोजक होंगे। निदेशक, 3 सदस्यों का मनोनयन प्रधान व महासचिव के परामर्श से गद्दी नशीन द्वारा किया जायेगा।
2. कार्यकाल 3 वर्ष होगा।
3. संस्था के अधीनस्थ शिक्षा संस्थान-स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण केन्द्र आदि पर नियंत्रण करना।
4. अध्यापकों/अधिकारियों/कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को नियंत्रण करना।
5. आवश्यकता पड़ने पर नियत शर्तों/नियमों के अनुसार उन्हें सेवा मुक्त करना।

6. नये संस्थान बनाना तथा उनका नियन्त्रण करना।

18) डेरा बाबा बन्दा बहादुर विकास एवं प्रवन्धन समिति

1. इस समिति में 11 सदस्य होंगे। जिनमें -

   - संयोजक

   - सह संयोजक

   के अतिरिक्त 9 अन्य सदस्य होंगे।

2. इनका मनोनयन प्रधान व महासचिव के परामर्श से गद्दी नशीन द्वारा किया जायेगा

3. कार्यकाल 3 वर्ष होगा।

4. डेरा साहिब पर स्थित निर्मित/अनिर्मित/वंशानुगत सभी प्रकार की सम्पत्ति को देख-रेख करना।

5. नये भवनों/जन सुविधाओं का निर्माण।

6. सभी प्रकार के प्रकल्पों/आयोजनों का संचालन करना।

19) उप समिति

1. विभिन्न कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार उप समितियों का गठन करना।

20) युवा सेवा दल / युवती सेवा दल

बाबा बन्दा बहादुर सिक्ख सम्प्रदाय के नवयुवक/नवयुवतियां युवा सेवा दल/युवती सेवा दल के सदस्य बन सकते हैं।

1. यदि उनकी आयु 15-40 वर्ष के बीच हो।

2. निदेशक मण्डल द्वारा अधिकृत प्रवेश-पत्र प्रस्तुत करें।

3. रु. 101/- सदस्यता शुल्क जमा करवाये।

4. युवा सेवा दल गद्दी नशीन द्वारा मनोनीत 3 सदस्यीय निदेशक मण्डल के दिशा-निर्देशन में कार्य करेगा।

5. इसके संचालन के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा जिसमें निदेशक के अतिरिक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष तथा स्थानीय युवा सेवा दलों के संयोजक अथवा उस द्वारा नियुक्त/प्रतिनिधि होगा।

6. अध्यक्ष व सचिव का चुनाव युवा सेवा दल के सभी सदस्यों द्वारा बहुमत से किया जायेगा।

7. शेष पदाधिकारियों का मनोनयन अध्यक्ष तथा सचिव के परामर्श से निदेशक मण्डल द्वारा किया जायेगा।

8. स्थानीय शाखाओं के पदाधिकारियों (संयोजक, सह संयोजक, कोषाधिकारी) का चुनाव स्थानीय सदस्यों द्वारा निदेशक मण्डल अथवा उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जायेगा।

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat) — President

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat) — Gen. Secretary

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat) — Treasurer/Cashier

9. युवा सेवादल की कार्यकारिणी का कोई सदस्य स्थानीय शाखा का पदाधिकारी नहीं बनेगा।

10. इसका कार्यकाल 2 वर्ष होगा। अध्यक्ष निरन्तर 2 कार्यकाल से अधिक इस पद पर चयनित होने का अधिकारी नहीं होगा। मगर यदि सदस्य चाहें तो केन्द्रीय कार्य समिति की अनुमति से ऐसा कर सकते हैं।

21) आय के साधन

1. सदस्यता शुल्क
2. सरकारी/गैर सरकारी अनुदान
3. विशेष सहयोग राशि
4. संगतों द्वारा दिये जाने वाली दान राशि
5. संस्था द्वारा नियंत्रित टिकाना बाबा बन्दा सिंह बहादुर द्वारा प्राप्त राशि, एवम् अन्य समितियां व प्रकल्प जो केन्द्रीय कार्य समिति निर्धारित करेगी।

22) व्यय की मदें

1. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी मदों पर व्यय किया जा सकता है।
2. केन्द्रीय स्तर पर संस्था के नाम से एक या अधिक खाते राष्ट्रीयकृत बैंक/बैंकों में खोले जा सकेंगे। जिनका संचालन प्रधान, महासचिव, वित्त सचिव द्वारा अथवा इन के द्वारा नियुक्त 2-3 व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से क्रिया जायेगा।
3. स्थानीय स्तर पर यदि आवश्यकता हो, प्रधान, महासचिव की लिखित सहमति से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संस्था के नाम से खाता खोला जा सकता है जिसका संचालन स्थानीय अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
4. प्रधान को 50000/-, महासचिव को 20000/-, कोषाध्यक्ष को 10000/- रूपये तक व्यय का अधिकार होगा। इससे अधिक के लिये केन्द्रीय कार्य समिति से आज्ञा लेनी होगी।
5. सभी प्रकार के आय-व्यय का लेखा जोखा कोषाध्यक्ष द्वारा रखा जायेगा। वह आय की रसीद देगा तथा व्यय का बिल/रसीद आदि प्राप्त करेगा।
6. वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा।
7. केन्द्रीय कार्य समिति द्वारा मनोनीत लेखा-परीक्षक जो चार्टर्ड अकाउन्टैन्ट होगा, वित्तीय वर्ष का लेखा परीक्षण कर मई के प्रथम सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।
8. केन्द्रीय कार्य समिति को स्थानीय कार्य समितियों अथवा संस्था द्वारा नियंत्रित सभी प्रकल्पों/संस्थानों को लेखा-परीक्षण का अधिकार होगा।
9. स्थानीय स्तर पर प्राप्त सभी प्रकार की आय पर केन्द्रीय कार्य समिति का नियंत्रण होगा।
10. स्थानीय स्तर पर चलाये जाने वाले सभी प्रकल्पों के लिए केन्द्रीय कार्य समिति अनुदान देगी।

For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat) — President
For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat) — Treasurer/Cashier
For Baba Banda Singh Bahadur Sikh Sampardai (Bharat) — Gen. Secretary

11. किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य/मरम्मत कराने की पूर्वानुमति आवश्यक होगी। प्रारूप तैयार कर केन्द्रीय कार्य समिति को भेजा जायेगा। जिला पर जिला निर्देश के बाद सभा की ही अनुमति प्राप्त की जायेगी।

12. संस्था का कोई भी पदाधिकारी संस्था के कार्य-पूर्ति पर होने वाले व्यय के अतिरिक्त किसी प्रकार का आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं कर सकेगा।

23) **समिति को भंग करने का अधिकार**

यदि केन्द्रीय कार्यकारिणी स्थानीय समितियां ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही होंगी तो मुख्य संरक्षक को उन्हें भंग करने का अधिकार होगा तथा 3 महीने के अन्दर उनका चुनाव करवाना आवश्यक है।

24) **केन्द्रिय समिति को विशेषाधिकार**

यदि मुख्य संरक्षक/गद्दी नशीन सम्प्रदाय की मर्यादाओं, परम्पराओं, संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करेगा तो केन्द्रीय कार्य समिति को 75 प्रतिशत बहुमत से उसके स्थान पर संरक्षक नियुक्त करने का अधिकार होगा।

1. जो प्रारम्भ में 1 वर्ष तक कार्य करेगा।
2. गद्दी नशीन के सभी कार्यों/अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा।
3. एक वर्ष पश्चात् केन्द्रीय कार्य समिति हटाये गये गद्दी नशीन के क्रिया कलापों का पुनः मूल्यांकन करेगी तथा उचित निर्णय करेगी।

25) गद्दी नशीनी की प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार के मतभेद होने पर गद्दी नशीन का निर्णय मान्य होगा। यदि फिर भी मतभेद/झगड़ा नहीं सुलझता तो सम्बन्धित जिला न्यायालय अधिकार क्षेत्र होगा।

26) **नियमों में संशोधन**

नियमों को किसी प्रकार से कार्यान्वित करने के लिए कार्यकारी-परिषद् को पूर्ण अधिकार होंगे। नियमों का संशोधन संस्था की आम सभा में जो विशेष रूप से इसके लिए बुलाई जाएगी, बहुमत द्वारा किया जाएगा। सभा की कार्यवाही चालू करने के लिए एक तिहाई सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक होगा।

27) कार्यकारी परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिए संस्था के एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर सहित महासचिव मुख्य संरक्षक को सूचित करना होगा जो 15 दिन के अन्दर सभा बुलाएगा। वहाँ उपस्थित दो तिहाई बहुमत से निर्णय किया जाएगा।

28) यह संस्था कोई राजनीतिक संगठन नहीं है और सदस्यों के व्यक्तिगत राजनीतिक विचारों के लिए उत्तरदायित्व नहीं होगी।

For Baba Banda Singh Bahadur ... (Regd)

President

Gen. Secretary

Treasurer/Cashier